



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-247999
CG-DL-E-10082023-247999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3426]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2023/श्रावण 19, 1945

No. 3426]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2023/SHRAVANA 19, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3580(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़ (पैन:-AAALC0595J)', प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा गठित एक बोर्ड, उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के तहत एकत्रित उपकर की आय;
- (ख) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के तहत भुगतान किया गया अंशदान और पंजीकरण शुल्क; और
- (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित के अध्यक्षीन प्रभावी होगी कि चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़:-

- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिस नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलापों तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022 से 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी और वित्तीय वर्षों क्रमशः 2020-2021 से 2022-2023 तक के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 59 /2023 फा.सं. 300196/17/2020-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।